


उत्तर प्रदेश शासन,  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-टी-152/दो-2-2019  
लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2019  
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अलीगढ़ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए संयुक्त आवास आयुक्त, मेरठ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री श्रीवास्तव प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- मण्डलायुक्त, मेरठ।
- 3- जिलाधिकारी, मेरठ/अलीगढ़।
- 4- आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 8- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 9- नियुक्ति अनुभाग-7
- 10- सम्बन्धित अधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल।


आज्ञा से,  
  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-टी-153/दो-2-2019  
लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2019  
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री कृष्ण लाल, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कुशीनगर को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अलीगढ़ के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री कृष्ण लाल प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, कुशीनगर/अलीगढ़।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 5- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
- 6- नियुक्ति अनुभाग-7
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- गार्ड फाइल।


आज्ञा से,  
  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,  
नियुक्ति अनुभाग-2  
संख्या-टी-154/दो-2-2019  
लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2019  
कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अरविन्द कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, अलीगढ़ को जनहित में वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।


2- श्री सिंह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर तत्काल नवीन तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे। यदि कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित अधिकारी को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय तथा तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाय। यदि स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जायेगी और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- जिलाधिकारी, शाहजहांपुर/अलीगढ़।
  - 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
  - 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
  - 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
  - 5- अनु सचिव, इरला (वे0प0प्र0), उ0प्र0 शासन।
  - 6- नियुक्ति अनुभाग-7
  - 7- सम्बन्धित अधिकारी।
  - 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(धनन्जय शुक्ल)  
विशेष सचिव।